संख्या- 1/- 02/33-2-2014- 34जी/01टी0सी0-।।

प्रेषक,

आर0एम0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2014

विषय: त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को यथोचित सम्मान एवं सुविधा प्रदान करने हेतु मानदेय/भत्ता दिया जाना ।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियां एवं दायित्व सौपें जा रहे है। फलस्वरूप ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हई हैं उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों को क्रमशः अपनी-अपनी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना होता हैं । अतः इस सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से पंचायत पदाधिकारियों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में शासनादेश संख्या-1113/ 33-2-2006-34जी/01टी0सी0-।।, दिनांक 20.3.2006 एवं शासनादेश संख्या-6368/33-2-2006-34जी/01टी0सी0-।।, दिनांक 26.12.2006 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते, जैसा कि नीचे कालम-2 में उल्लिखित है, के स्थान पर अब उसके सम्मुख कालम-3 में अंकित मानदेय एवं भत्ते दिये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	वर्तमान में शासनादेश संख्या-1113/ 33-2-2006-34जी/01टी0सी0-।।, दिनांक 20.3.2006 एवं शासनादेश संख्या-6368/33-2- 2006- 34जी/01टी0सी0-।।, दिनाक 26.12.2006 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते की दरें:-	अब प्रतिस्थापित मानदेय एवं भत्ते की दरें-
1	2	3
1	ग्राम पंचायत के प्रधान को रू0600.00 प्रति माह की दर से मानेदय। पुनः रू0600.00 से बढ़ाकर रू0750.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय।	ग्राम पंचायत के प्रधान को रू0 2500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।
2	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रू03000.00 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य मानदेय।	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का रू07000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।
3	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू04000.00 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य निश्चित यात्रा भत्ता / मानदेय ।	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू010000/- प्रतिमाह की दर से निश्चित मानदेय अनुमन्य होगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, चाहें वे निर्वाचित सदस्य हों अथवा पदेन सदस्य हों, को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रू0200.00 प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता ।	क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, चाहें वे निर्वाचित सदस्य हों अथवा पदेन सदस्य हों, को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रू0500.00 प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता अनुमन्य होगा ।
5	जिला पंचायत के सदस्यों, चाहें वे निर्वाचित सदस्य हों अथवा पदेन सदस्य हों, को जिला पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रू0300.00 प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता ।	जिला पंचायत के सदस्यों, चाहें वे निर्वाचित सदस्य हों अथवा पदेन सदस्य हों, को जिला पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रू01000.00 प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता अनुमन्य होगा।

2- उक्त मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें क्रमशः अपनी ग्राम निधि, क्षेत्र निधि व जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेगीं तथा इसके लिये पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

3- यह बढ़े हुए दर पर मानदेय दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से देय होगा और इसका प्रथम भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2014 से होगा।

भवदीय ,

(आर0एम0श्रीवास्तव)

संख्या- 02 (1)/33-2-14-तददिनांक । प्रमुख सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफिर आफिसर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0 प्र0 ।
5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 लखनऊ ।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ ।
7- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0 प्र0 इंदिरा भवन, लखनऊ ।
8- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, (पंचायत), उ0 प्र0 ।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0 प्र0 ।
11- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0 प्र0।
12- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0 लखनऊ ।
13- पंचायतीराज अनुभाग-1 एवं 3 ।
14- गोपन अनुभाग-1 ।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भरत लाल राय)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in